रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 1984/वैशाख 13, 1906
No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1984/VAISAKHA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

सा०का०नि० 325(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 527(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

(1)	(2)	(3)
"50	कार्यालय लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त	साधारण प्रशासन विभाग "

[सं० एस-21012/1/84-एस आर]
एच० बी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव

टिप्पण —मूल अधिसूचना सं० सा०का०नि० 527 (अ), तारीख 18-10-1975 को पहले अधिसूचना सं० सा०का०नि० 83 (अ) तारीख 22-2-1977, अधिसूचना सं० सा०का०नि० 359 (अ) तारीख 23-4-1982 और अधिसूचना सं० सा० का०नि० 468 (अ) तारीख 23-6-1982 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1984

G.S.R. 325(E):— In pursuance of clause (i) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR 527(E), dated the 18th October, 1975, namely:—

In the said notification, in the Table, after S. No. 49 and the entiries relating thereto, the following S No. and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3
"50	The office of the Lokayukta and upa-Lokayukta	General Administration Department".

[S-21012/1/84-SR]

H.V. GOSWAMI, Joint Secy.

Note: The principal notification No. GSR 527 (E) dated 18-10-1975 was earlier amended vide notification No. GSR 83(E) dated 22-2-1977, notification No. GSR 359 (E) dated 23-4-1982 and notification No. GSR 468 (E) dated 23-6-1982.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984